विज्ञप्ति

परिवार न्यायालय, जनपद– बांदा

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि शासनादेश सं0–102/सात–न्याय–2–2015–728/86, दिनांक 18.06.2015 के अनुपालन में कुटुम्ब न्यायालय, अधिनियम–1004 के अधीन स्थापित कुटुम्ब न्यायालय जनपद–बॉदा हेतु ,उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय, नियमावली, 1995 के नियम 26(1) के अन्तर्गत परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु अर्ह व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। जनपद में स्थापित कुटुम्ब न्यायालय की सहायता हेतु परामर्शदाता (Counsellors)को अबाद्ध किया जाना है। जिसके लिए निम्नलिखित अर्हता होना आवश्यक है–

1–परामर्शदाता पद हेतु आवेदक उसी जनपद का हो जहां परिवार न्यायालय स्थापित है।

2–परामर्शदाता हेतु आयु 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

3–शैक्षिक योग्यता में परामर्शदाता हेतु समाजशास्त्र/मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो अथवा सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक हो एवं पारिवारिक काउन्सिलिंग में जिन्हें दो वर्ष का अनुभव है उन्हें वरीयता दी जायेगी।

4–परामर्शदाता पद हेतु आवेदन विज्ञापन की तिथि से दिनांक 27.05.2019 को दोपहर 2:00 बजे तक ही कार्यालय परिवार न्यायालय, बांदा में प्राप्त किये जायेगें। इसके उपरान्त प्राप्त होने वाले आवदेनों पर विचार नही किया जायेगा।

16/5/19

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिरकण,
जनपद न्यायालय–बांदा

16/05/19

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय
जनपद न्यायालय–बांदा

1. प्रतिलिपि मान्नीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रतिलिपि मान्नीय जिलाधिकारी,बॉदा को उपरोक्त सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रतिलिपि जिला सूचना अधिकारी,बॉदा को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त सूचना स्थानीय समाचार–पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें ।

16/05/19

प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय ,
जनपद न्यायालय,बॉदा ।